मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2007—पौष 3, शक 1929

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2007

क्र. एफ. 15-31-2007-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, बाघ, अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का होने के कारण इसे अक्षुण्य बनाया जाना आवश्यक है.

राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित 2006) की धारा 38V द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न परिशिष्ट में दर्शाये क्षेत्रों को कान्हा टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित करता है :—

परिशिष्ट

जिला—मण्डला एवं बालाघाट

संरक्षित क्षेत्र—कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

टाइगर रिजर्व का नाम—कान्हा टाइगर रिजर्व

क्षेत्रफल—917.43 वर्ग कि.मी..

सम्मिलित क्षेत्र का विवरण

क्र.	संरक्षित क्षेत्र	आरक्षित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित क्षेत्र (वर्ग. कि.मी.)	अन्य क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	योग (वर्ग कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	917.43	0.00	0.00	917.43
	योग . .	917.43	0.00	0.00	917.43

क्र. एफ. 15-31-2007-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, बाघ, अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का होने के कारण इसे अक्षुण्य बनाया जाना आवश्यक है.

राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित 2006) की धारा 38V द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्न परिशिष्ट में दर्शाये क्षेत्रों को (पचमढ़ी नगर, साडा एवं छावनी क्षेत्र को छोड़कर) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित करता है :—

परिशिष्ट

जिला– होशंगाबाद

संरक्षित क्षेत्र--सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य एवं पचमढ़ी अभ्यारण्य

टाइगर रिजर्व का नाम—सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

क्षेत्रफल—133926.402 हेक्टेयर.

सम्मिलित क्षेत्र का विवरण

क्र. (1)	संरक्षित क्षेत्र (2)	आरक्षित क्षेत्र (हेक्टेयर में) (3)	संरक्षित क्षेत्र (हेक्टेयर में) (4)	अन्य क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)	योग (हेक्टेयर में) (6)
1	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	38169.214	9825.099	393.953	48388.266
2	बोरी अभ्यारण्य	43779.313	0.00	0.00	43779.313
3	सतपुड़ा अभ्यारण्य	16078.228	23057.182	2623.413	41758.823
	योग . .	98026.755	32882.281	3017.366	133926.402

सीमाएं

उत्तर—एक काल्पनिक एवं अस्थिर रेखा जो तवा-देनवा नदी के संगम से कक्ष क्र. 367 तक, देनवा नदी के दक्षिणी किनारे पर जलाशय के पानी की सीमा के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर (पानी के अंदर) गुजरती है, पश्चात् पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा, जो कि आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 367, 363, 349, 345 एवं 346 की पश्चिमी सीमा बनती है. पश्चात् RF /PF सीमा लाईन कक्ष क्रमांक 346 से 430 तक, पश्चात् कक्ष क्रमांक 430 में वन ग्राम झिरिया को कोर क्षेत्र के बाहर करते हुए पुनः RF /PF लाईन कक्ष क्रमांक 437 से 455 तक, पश्चात् कक्ष क्रमांक P-212 एवं P-213 की संरक्षित वन की उत्तरी सीमा.

पूर्व—कक्ष क्र. P-212 एवं P-213 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. P-215 को दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. P-217 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. P-218 की पूर्व एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. P-219 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. P-220 की दक्षिणी सीमा पश्चात् कक्ष क्र. P-221 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा देनवा नदी के मध्य तक, पश्चात् मध्य देनवा नदी ग्राम छिरई के दक्षिणी पूर्वी कोने तक, पश्चात् कक्ष क्र. P-224 एवं P-223 की सीमा के साथ-साथ ग्राम छिरई की सीमा, पश्चात् कक्ष क्र. P-223 की पश्चिमी सीमा हार्टीकल्चर विभाग के उद्यान को बाहर करते हुए, पश्चात् कक्ष क्र. P-223 एवं P-224 की उत्तरी सीमा पश्चात् होशंगाबाद-छिन्दवाड़ा जिला सीमा, पश्चात् कक्ष क्र.

P-290 से P-278 तक होशंगाबाद-छिन्दवाड़ा जिले की सीमा नेकसा टोला, मानाकछार टोला एवं फिफेरी टोला को बाहर करते हुए.

दक्षिण—होशंगाबाद-छिंदवाड़ा जिला सीमा पर कक्ष क्र. P-277 एवं P-278 के मिलान बिन्दु से कक्ष क्र. P-277, P-276, P-275 एवं P-274 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. P-272 की उत्तरी पश्चिमी सीमा पश्चात् कक्ष क्र. P-271 की उत्तरी सीमा जो कक्ष क्र, P-253 की सीमा से मिलती है, पश्चात् कक्ष क्र. P-253 एवं कक्ष क्र. P-271 के मध्य की सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा के जिला होशंगाबाद-छिन्दवाड़ा जिला सीमा तक की सीमा, पश्चात् छिन्दवाड़ा-होशंगाबाद जिला सीमा एवं तवा नदी तक होशंगाबाद-बैतूल जिला सीमा.

पश्चिम—एक काल्पनिक एवं अस्थिर रेखा जो तवा नदी, जो कक्ष क्र. 181, 184, 185 एवं 193 की पश्चिमी सीमा बनाती है के पूर्वी किनारे के साथ जलाशय के पानी की सीमा के 200 मीटर अंदर एवं नदी के किनारे के समानांतर, कक्ष क्र. 193, 182 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 176 एवं 175 की पश्चिमी सीमा एवं कक्ष क्र. 168 की उत्तरी सीमा से गुजरने वाली कोती नदी तक की सीमा पश्चात् मध्य तवा नदी तक कोती नदी के मध्य की सीमा पश्चात् तवा नदी के पूर्वी किनारे से 200 मी. की दूरी तथा डूब से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा तवा-देनवा नदी के संगम तक.

टीप—टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का क्षेत्रफल देनवा एवं तवा नदियों की मध्य रेखाओं को क्रमशः उत्तरी एवं पश्चिमी सीमाएं मानकर आंकलित किया गया है.

No. F-15-31-2007-X-2.—WHEREAS the Government of Madhya Pradesh considers that the area specified in the Schedule below is a critical tiger habitat and is of adequate ecological, faunal and floral significance, to be kept inviolate for the purposes of conservation of tiger, other predators, their prey base, and their habitat and environment.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 38V of Wildlife (Protection) Act, 1972, the Government of Madhya Pradesh hereby declares the area specified in the Schedule below (except the Pachmarhi Township, including the Cantonment and SADA areas) as the Core area of Satpura Tiger Reserve:—

SCHEDULE

District—Hoshangabad

Protected Areas—Satpura National Park, Bori Wildlilfe Sanctuary and Pachmarhi Wildlife Sanctuary

Name of Tiger Reserve—Satpura Tiger Reserve

Total Area—133926.402 Hectares.

AREAS INCLUDED

S.No.	Protected Area	Reserved Forest (in Hectare)	Protected Forest (in Hectare)	Revenue Land including private land (in Hectare)	Total (in Hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Satpura National Park	38169.214	9825.099	393.953	48388.266
2	Bori Wildlife Sanctuary	43779.313	0.00	0.00	43779.313
3	Pachmarhi Wildlife Sanctuary	16078.228	23057.182	[illegible]	41758.823
	Total . .	98026.755	32882.281	3017.366	133926.402

(8)

BOUNDARIES

North—An imaginary floating/shifting line passing 200 m inside the water, parallel to the waterfront of the Tawa reservoir, along southern bank of the Denwa River, from Tawa-Denwa junction till Comptt. No. 367, thereafter boundary of Pachmarhi Sanctuary which passes through western boundary of Compartment No. 367, 363, 349, 345 & 346, thereafter Reserve Forest & Protected Forest line from Comptt. No. 346 to 430. In Comptt. 430, boundary line of RF-PF line, excluding area of FV Jhiria & then again RF-PF line from comptt. 437 to comptt. No. 455, thereafter the Northern boundary of Protected forest Comptt. No. 212 & 213.

East—Southern boundary of Comptt. No. 213 & 212, Southern & Western boundary of Comptt. No. 215, Southern boundary of Comptt. No. 217, Eastern & Southern boundary of Comptt. No. 218 Eastern & Southern boundary of Comptt. No 219 & Southern boundary of Comptt No. 220, thereafter Northern & Eastern boundary of Comptt. No. 221 up to' mid Denwa River, thereafter mid Denwa River up to southern-eastern corner of Chhirrai village boundary, then Chhirrai village boundary along with Comptt. No. 224 and 223 and thereafter western boundary of Comptt. No. 223, excluding horticulture garden and then northern boundary of Comptt. No. 223 and 224, and thereafter Hoshangabad-Chhindwara district boundary, thereafter District boundary of Hoshangabad and Chhindwara districts from Comptt. No. 290 to 270, excluding hamlets (Tolas) Neksa, Manakachhar and Fiferi.

South—From junction of Comptt. No. 277 & 278 on Hoshangabad-Chhindwara district boundary, northern boundaries of Comptt. Nos. P-277, P-276, P-275 & P-274 and northern & western boundary Comptt. No. P-272 thereafter northern boundary of Comptt. No. 271 up to the point where it meets Comptt. No. 253 and then along the boundary of Satpura National Park & Pachmarhi Sanctuary between Compartment No. 253 and 271 till District boundary of Hoshangabad-Chhindwara thereafter Chhindwara-Hoshangabad district boundary and Hoshangabad-Betul district boundary up to Tawa River.

West—An imaginary floating/shifting line passing 200 m inside the water, and running parallel to the eastern waterfront of the Tawa reservoir, along eastern bank of the Tawa River which makes western boundary of Comptt. No. 181, 184, 185 & 183 of Bori Sanctuary, thereafter the boundary passes through northern boundary of Comptt. No. 183, 182 & western boundary of Comptt. No. 176, 175 and northern boundary of 168 Comptt. up to Koti river, then mid of Koti river up to Tawa river & thereafter mid of Tawa river up to Denwa river junction.

Note—The area of the core of the tiger reserve has been computed using the mid river line of the Denwa and Tawa rivers as the northern and southern boundaries.

क्र. एफ. 15-31-2007-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, बाघ, अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का होने के कारण इसे अक्षुण्य बनाया जाना आवश्यक है.

राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित 2006) की धारा 38V द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न परिशिष्ट में दर्शाये क्षेत्रों को पन्ना टाईगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—पन्ना एवं छतरपुर

संरक्षित क्षेत्र—पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं पन्ना (गंगऊ) अभ्यारण्य.

टाइगर रिजर्व का नाम.—पन्ना टाईगर रिजर्व

क्षेत्रफल.—57613.11 हेक्टेयर